



Neutral Citation No. - 2026:AHC-LKO:21963

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

लखनऊ

आपराधिक विविध अग्रिम जमानत आवेदन धारा 482 भ.ना.सु.सं. के अंतर्गत संख्या -

481 सन् 2026

विजय कुमार त्रिपाठी@विजय कुमार

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव गृह, लखनऊ

.....विरोधी पक्षकार

आवेदक(कों) के अधिवक्ता : अरुण कुमार शुक्ला, बृजेन्द्र कुमार सिंह

विरोधी पक्षकार के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 28

माननीय न्यायामूर्ति राजीव भारती

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता की बात सुनी और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया।
2. धारा दण्ड प्रक्रिया संहिता/482 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत यह आवेदन प्राथमिकी/ आपराधिक वाद संख्या 0004/2026, धारा 3(1) उत्तर प्रदेश गिराहबन्द और समाज विरोधी क्रियाकलाप गतिविधियां (निवारण) अधिनियम, 1986, थाना - चापिया, जिला- गोंडा में अग्रिम जमानत की मांग करते हुए दायर किया गया है।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि गैंग चार्ट में आवेदक के विरुद्ध दो वाद दर्शाए गए हैं और उक्त मामलों में आवेदक को जमानत पर रिहा किया जा चुका है। जमानत आदेश जमानत आवेदन के समर्थन में दायर शपथपत्र के अनुलग्नक संख्या 4 और दिनांक 18.03.2026 के पूरक शपथपत्र के अनुलग्नक संख्या एस.ए.1 के रूप में संलग्न हैं। गैंग चार्ट में उल्लिखित मामलों के अलावा, आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि सह-आरोपी, शिवम त्रिपाठी उर्फ शिवम पंडित उर्फ मोनू को इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा दिनांक 29.01.2026 के आदेश द्वारा जमानत दी गई है। इसके अलावा सह-आरोपी, सत्यम त्रिपाठी को इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा दिनांक 05.02.2026 को आपराधिक विविध मामले में पारित आदेश द्वारा अग्रिम जमानत दी गई है। धारा 482 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता संख्या 213/2026 के अंतर्गत अग्रिम जमानत आवेदन। यह भी निवेदन किया जाता है कि आवेदक उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द और समाज विरोधी क्रियाकलाप गतिविधियां (निवारण) अधिनियम, 1986 की धारा 19(4)(ख) की आवश्यकता के अनुसार वचन देने के लिए तैयार है। आवेदक मुकदमे में सहयोग करने का वचन देता है।

4. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत की प्रार्थना का विरोध किया, लेकिन आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिए गए उपरोक्त तथ्यों का खंडन नहीं कर सके।

5. इस तथ्य पर विचार करते हुए कि आवेदक को गैंग चार्ट में दर्शाए गए मामलों में जमानत पर रिहा किया जा चुका है; गैंग चार्ट में दर्शाए गए मामले के अलावा आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और आवेदक ने वाद में सहयोग करने का वचन दिया है; सह-आरोपी शिवम त्रिपाठी उर्फ शिवम पंडित उर्फ मोनू को इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा दिनांक 29.01.2026 के आदेश द्वारा जमानत दी जा चुकी है; इसके अलावा सह-आरोपी सत्यम त्रिपाठी को भी इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा दिनांक 05.02.2026 के आदेश

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

द्वारा धारा 482 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता संख्या 213/2026 के अंतर्गत अग्रिम जमानत दी जा चुकी है, न्याय के हित में यह उचित होगा कि आवेदक की स्वतंत्रता की रक्षा की जाए।

6. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, आवेदक विजय कुमार त्रिपाठी उर्फ विजय कुमार को आज से बीस दिनों के भीतर अधीनस्त न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया जाता है। उनके आत्मसमर्पण पर, अधीनस्त न्यायालय उन्हें अग्रिम जमानत पर रिहा करेगी, बशर्ते वे अधीनस्त न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार समान राशि के व्यक्तिगत बन्धपत्र और दो जमानती प्रस्तुत करें, निम्नलिखित शर्तों के साथ:-

- (i) आवेदक मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रेरित करने, धमकाने या वादा करने से परहेज करेगा, जिससे वह न्यायालय के समक्ष ऐसे तथ्यों को प्रकट करने से हतोत्साहित हो सकता है या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ हो सकती है;
- (ii) आवेदक न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत से बाहर यात्रा नहीं करेगा;
- (iii) आवेदक किसी भी अभियोजन गवाह को प्रभावित करने या डराने का प्रयास नहीं करेगा;
- (iv) आवेदक को यह वचन देना होगा कि जब गवाह न्यायालय में उपस्थित हों, तो वह साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित तिथियों पर स्थगन की मांग नहीं करेगा। इस शर्त का उल्लंघन होने पर, अधीनस्त न्यायालय इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानकर कानून के अनुसार आदेश पारित कर सकती है।
- (v) आवेदक उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द और समाज विरोधी क्रियाकलाप गतिविधियां (निवारण) अधिनियम, 1986 की धारा 19(4)(ख) की आवश्यकता के अनुसार वचन पत्र भी दाखिल करेगा कि वह किसी भी मामले में शामिल नहीं होगा या जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

(vi) आवेदक प्रत्येक निर्धारित तिथि पर स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से अधीनस्त न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा। यदि वह पर्याप्त कारण के बिना अनुपस्थित रहता है, तो अधीनस्त न्यायालय उसके विरुद्ध विधि के अनुसार कार्यवाही कर सकती है।

(vii) यदि आवेदक वाद के दौरान जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है और उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए धारा 84 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत उद्घोषणा जारी की जाती है और आवेदक ऐसी उद्घोषणा में निर्धारित तिथि पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहता है, तो परीक्षण न्यायालय भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 209 के अंतर्गत कानून के अनुसार उसके विरुद्ध कार्यवाही प्रारंभ करेगा।

(viii) उपर्युक्त शर्तों के किसी भी उल्लंघन की स्थिति में, परीक्षण न्यायालय आवेदक को दी गई अग्रिम जमानत को रद्द करने के लिए स्वतंत्र होगा;

कोई भी अन्य उचित प्रतिबंध/शर्त जो अधीनस्त न्यायालय उचित समझे, लगाई जा सकती हैं।

7. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को अग्रिम जमानत प्रदान करने में की गई टिप्पणियां किसी भी तरह से गवाहों की गवाही के आधार पर अपनी स्वतंत्र राय बनाने में परीक्षण न्यायाधीश को प्रभावित नहीं करेंगी।

8. उपरोक्त के मद्देनजर, अग्रिम जमानत याचिका **स्वीकार** की जाती है।

(न्यायामूर्ति राजीव भारती)

मार्च 26, 2026

के.के.वि./आनंद/-

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।